

गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

E-Mail:- r.mes@rajasthan.gov.in

Contact no.-0141-2601727

क्रमांक:- एफ15(7)डी.एम.ई./एके./2018/2277

दिनांक:- 28-10-2020

आदेश

राज्य मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 34/2017 दिनांक 24.02.2017 के अनुसरण में शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश संख्या प.18(2)एम.ई./ग्रुप-1/2015 दिनांक 18.04.2017 के द्वारा राज्य सरकार पर भविष्य में कॉलेज व अस्पताल के संचालन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े इसके लिए सोसायटी को अन्य निजी कॉलेजों की भांति एम.बी.बी.एस. में प्रवेश पाने वाले 35 प्रतिशत छात्रों से राज्यस्तरीय शुल्क निर्धारित कमेटी द्वारा ट्यूशन फीस (राशि रु 07.50 लाख प्रति वर्ष) वसूल करने की अनुमति दी गई थी तथा 15 प्रतिशत छात्रों से 1.00,000 अमेरिकन डॉलर या उसके समतुल्य राशि रूपये में एक मुश्त ट्यूशन फीस वसूल करने की अनुमति दी गई एवं शेष 50 प्रतिशत छात्रों के लिए ट्यूशन फीस 50,000/-रु लिया जाना निर्धारित किया गया एवं उक्त फीस में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने का आदेश दिया गया था।

अतः उक्त आदेश के अनुसरण में राजकीय सीट के लिए 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी कार्यालय आदेश क्रमांक 1287 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गई राशि रु. 52,500 के स्थान पर रु. 55,125 ट्यूशन फीस निर्धारित की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किए गये है।

यह बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रभावी होगी।



(शिवांगी स्वर्णकार)


आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं
निदेशक, राजमेस

क्रमांक:- एफ15(7)डीएमई/एके./2018/2277

दिनांक:- 28-10-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक- माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, नवीन मेडिकल कॉलेज, समस्त.....।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
10. रक्षित पत्रावली।



(शिवांगी स्वर्णकार)

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं
निदेशक, राजमेस